न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 21/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00118

उनवान

1. हितेश कुमार
2. विजय
3. कृष्णदेव

} पि0 स्व0 खैमचन्द जाति वैश्य, नि0 उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 मुरारीलाल
2. अरविन्द
3. नरेशचन्द

} पुत्र स्व0 मुरारीलाल जाति वैश्य नि0 सामरा तह0 किरावली हाल निवासी मुख्य बाजार फतेहपुर सीकरी जिला आगरा।

4. सीमा पुत्री स्व0 मुरारीलाल व पत्नी हरीकान्त जाति वैश्य निवासी राया तहसील व जिला मथुरा।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.2017 प्रकरण संख्या 245/05 पुराना व नया 133/10 उनवान खैमचन्द बनाम श्रीमती उर्मिला न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना।

अभिभाषकगण :–

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–19.04.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी व सिलसिले वाद अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वादी/अपीलाण्ट ने प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरूद्ध ग्राम मिलकपुर तहसील बयाना स्थित पुराने आराजी खसरा नम्बर 1042, 1062 जिसके नवीन खसरा नम्बर 2190, 2191 बने हैं पर दावा दायर कर एवं तामील कुनिन्दा से साज कर गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर फर्जी वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 09.01.2006 को इकतरफा डिक्री प्राप्त कर ली एवं उक्त डिक्री की इजराय कराकर अतिशीघ्रता से अपने हक में इन्द्राज खातेदारी कराकर स्व0 मुरारीलाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद जाति वैश्य निवासी सामरा तहसील किरावली के हक में हो रहे इन्द्राज खातेदारी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को कलमजन करा दिया। उक्त एक पक्षीय डिक्री दिनांक 17.07.2010 को निरस्त हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा दायरी से पूर्व की प्रविष्टियाँ राजस्व रिकार्ड में किये जाने की प्रार्थना की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, विवादित आराजीयात पर वादीगण/अपीलांट के नाम को कलमजन कर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के नाम कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अपीलाधीन निर्णय, आदेश 20 नियम 1(1) व (3)(5) जा0दी0 के आज्ञापक कानूनी प्रावधानो के विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनने के बाद निर्णय सुनाये जाने के लिये कोई तारीख निश्चित नहीं कर अपीलाण्ट या उनके अभिभाषक को सूचना नहीं दी इसलिये दिनांक 26.05.2017 की आर्डर शीट पर अभिभाषक के हस्ताक्षर नहीं है तथा निर्णय पर तारीख भी अंकित नहीं की गयी है और ना ही प्रार्थना पत्र पर अलग से दर्ज होने की कोई संख्या व सन् अंकित नहीं है। प्रकरण में विवाद यह है कि आया मृतक मुरारीलाल निर्वसीयत मरा या वसीयत करने पर मरा तथा धारा 39 आरटीएक्ट के प्रावधान लागू होंगें या धारा 40 के प्रावधान लागू होंगें। क्योंकि रैस्पो0 विरासत के आधार पर खातेदारी की घोषणा की डिक्री चाहते हैं व अपीलाण्ट वसीयत सन् 1981 के आधार पर घोषणा की डिक्री चाहते हैं, तब धारा 144 सीपीसी में पक्षकार को डिक्री से पूर्व की स्थिति में प्रत्यास्थापित तो किया जा सकता है। परन्तु वर्तमान स्थिति में नये सिरे से खातेदारी का अंकन नहीं किया जा सकता। इसलिये अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है। अपीलाधीन निर्णय से दोनों मूल दावा प्रभावित होते हैं। अपीलाधीन आदेश के रहते, अपीलाण्ट का दावा अप्रत्ययतः बिना सुने खारिज व रैस्पो0 का दावा स्वीकार माना जावेगा। अपीलाधीन निर्णय के आपरेटिव भाग से अधीनस्थ न्यायालय स्वयं के द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश का ही सिविल व क्रिमिनल कन्टेम्प्ट (विधिक अवमानना) हो जाती है तब ऐसा विरोधाभाषी निर्णय पारित नहीं करना चाहिये था। क्योंकि अपीलाधीन निर्णय से पूर्व स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफ तो राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति विवादित आराजी पर बनाये रखने का आदेश पारित किया हुआ है जो दावा के अंतिम निर्णय तक अभी भी प्रभावी है एवं दूसरी तरफ इस व्यादेश के होते हुये भी इसके विपरीत रैस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकन का निर्णय दिया है। जब अधीनस्थ न्यायालय में दावे विचाराधीन हैं तो धारा 144 के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता। धारा 144 से खातेदारी नहीं दी जा सकती केवल पूर्व के इन्द्राज ही बहाल किये जावेंगें। इसके अलावा धारा 144 जा0दी0 के निर्णय में डिक्री पारित की जाती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई डिक्री पारित नहीं की है। प्रकरण में दिनांक 16.05.2017 को बहस हुयी एवं निर्णय दिनांक 26.05.2017 को हुआ जो एक माह बाद दिया है। जिससे सन्देह पैदा होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। प्रकरण में केवल धारा 144 के ही प्रावधान देखने होंगें। दावो में क्या चल रहा है या अभी विचाराधीन हैं। हस्तगत प्रकरण में नहीं देखा जा सकता। डिक्री की पालना के लिये, इन्द्राज पुनः बहाल किया जाना आवश्यक है। विवादित आराजी रैस्पो0 के पिता के नाम थी यदि पूर्व की स्थिति बहाल होती है तो मृतक के नाम विवादित आराजी नहीं हो सकती। उनके वारिसान के नाम ही आयेंगें। अभी अधीनस्थ न्यायालय में दावा तय होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेशिका में लिखा है वह ही मान्य होगा। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 को हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रार्थना पत्र का नम्बर व दिनांक अंकित है। इस प्रकार अपीलाण्ट की सभी आपत्तियॉ सारहीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ में दो दावे एक रैस्पो0 द्वारा विरासत के आधार पर खातेदारी की घोषणा हेतु विचाराधीन है एवं दूसरा दावा अपीलाण्ट का वसीयत सन् 1981 के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् विचाराधीन हैं। जिनमें विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण होना शेष है। उक्त दोनों दावो के विचाराधीन रहते रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 144 का भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करते हुये, विवादित आराजी से अपीलाण्ट के नाम कलमजन कर रैस्पो0 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। हमारी सुविचारित राय में धारा 144 सीपीसी में पक्षकार को डिक्री से पूर्व की स्थिति में प्रत्यास्थापित तो किया जा सकता है। परन्तु वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पो0 को नये सिरे से खातेदारी का अंकन करने में विधिक त्रुटि की है। यदि डिक्री से पूर्व का खातेदार फौत हो गया है तो ऐसी स्थिति में पूर्व खातेदार के मृत होने का लाभ रैस्पो0 को नहीं मिल सकता। क्योंकि अपीलाण्ट व रैस्पो0 दोनों ही मृतक मुरारीलाल की आराजी पर दावा कर रहे हैं एवं उनके अधिकार अभी मूल दावे में तय होना शेष हैं। जहॉ तक अपीलांट की अन्य आपत्तियॉ कि अपीलाधीन आदेश में निर्णय की दिनांक प्रार्थना पत्र संख्या व दर्ज होने की दिनांक अंकित नहीं है। बाबत् हम पाते हैं कि उक्त त्रुटि लिपकीय त्रुटि है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद में प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 के तहत शुद्ध किया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 26.05.2017 में रैस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने बाबत् दिये गये आदेश निरस्त किये जाकर, प्रकरण में डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये जाकर, प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट व रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दोनों दावो को कन्सोलिडेट करते हुये एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.05.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। तब तक उभयपक्ष

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर